उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 2934 /VII-1/238–ख/2013
देहरादून : दिनांकः 23 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

जनपद देहरादून की तहसील चकराता के ग्राम लाखामण्डल, छमारी, गुथुर, कोप्टा, इआंदर आदि में कुल 1345 हैक्टेयर क्षेत्र में खनिज लाईमस्टोन, शेल के प्रोस्पेक्टिंग कार्य हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0, सी0एस0टी0 रोड, निकट विद्यानगरी कालीना, सान्ताकुज मुम्बई (महाराष्ट्र) ने दिनांक 24.05.2005 को जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

2– आवेदन पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र का खसरा मानचित्र, सम्पूर्ण क्षेत्र की खसरा खतौनी व भूस्वामियों की अनापत्ति प्रस्तुत न होने के कारण भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र दिनांक 08.10.2007 के द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु आवेदक को निर्देशित किया गया। पुनः भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र दिनांक 21.02.2012, दिनांक 27 अगस्त, 2012 एवं 22.04.2013 के द्वारा खसरा मानचित्र, सम्पूर्ण क्षेत्र की खसरा खतौनी व भूस्वामियों की अनापत्ति उपलब्ध कराने हेतु आवेदक को निर्देशित किया गया। किन्तु आवेदक द्वारा आतिथि तक उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में खनिज सोपस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु इच्छुक नहीं है।

3– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 627/खनन/भू0खनि0ई0/मु0ख0/दे0दू0/2005–06, दिनांक 09.12.2013 के माध्यम से प्रश्नगत आवेदन को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4– आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु शासन स्तर पर दिनांक 23.12.2013 को सुनवाई निर्धारित की गयी। सुनवाई में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

1. श्री एस0एल0 पैट्रिक, संयुक्त निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
2. श्री सुनील पंवार, ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।

5– उक्त सुनवाई में आवेदक मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0 के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। संयुक्त निदेशक खनन द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र का खसरा मानचित्र, सम्पूर्ण क्षेत्र की खसरा खतौनी, एवं भूस्वामियों की

अनापत्ति आतिथि तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिस कारण उनका आवेदन अपूर्ण है। खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–63ए के प्राविधानानुसार प्रोस्पेक्टिंग लाईसंस आवेदन पत्र के निस्तारण हेतु 09 माह की समयसीमा निर्धारित है, जो कि व्यतीत हो चुकी है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :–

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई रूचि न लिये जाने, आवेदन पत्र अपूर्ण होने एवं सुनवाई में उपस्थित न होने के कारण खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–63ए के प्राविधानानुसार आवेदक मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0, सी0एस0टी0 रोड, निकट विद्यानगरी कालीना, सान्ताकुज मुम्बई (महाराष्ट्र) के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2005 को एतद्द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है।

(प्रकाश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2934 (1)/VII-1/238–ख/2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 627/खनन/भू0खनि0ई0/मु0ख0/दे0दू0/2005–06, दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 के क्रम में।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0, सी0एस0टी0 रोड, निकट विद्यानगरी कालीना, सान्ताकुज मुम्बई (महाराष्ट्र)।

आज्ञा से,

(प्रकाश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।